न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –46 / 2016 जिला सीकर ।

1. महावीर सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह
2. भगवान सिंह
3. नन्द सिंह
   पुत्रान दौलत सिंह
4. मोहन सिंह पुत्र नारायण सिंह
5. तेज सिंह पुत्र सबल सिंह
6. धन्ने सिंह
7. डूंगर सिंह
   पुत्रान धोकल सिंह जाति राजपूत
8. अर्जुन पुत्र सुखा जाति जाट
   निवासी ग्रम नरसास, तहसील लक्ष्मनगढ, जिला सीकर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश
2. महावीर
   हणमानाराम
3. भानाराम पुत्र न्योला राम
   जाति जाट निवासी नरसास तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ।
4. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मणगढ, मुख्यालय सीकर ।
5. तहसीलदार सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर सीकर दिनांक 20.6.2011

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 21.2.2018

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 20.6.2011 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि अपीलान्ट्स महावीर वगैहरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मणगढ प्रथम, मुख्यालय सीकर को आराजी खसरा नम्बर 74, 76, 68/350 में गलत रूत से रास्ता कायम करने के विरूद्ध दिनांक 8.7.2009 को प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि भू प्रबन्ध तरमीम शीट में गलत रूप से डोटेड लाईन से रास्ता दर्शाया गया है जबकि पूर्व में ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है । भू प्रबन्ध कार्यवाहियों के दौरान भू प्रबन्ध विभाग को नई कार्यवाही करने का अथवा रेकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने निर्णय दिनांक 18.9.2009 द्वारा खारिज कर दी जिसके खिलाफ दूसरी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है , परन्तु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जगदीश ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ के न्यायालय में रास्ते को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मानकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने खसरा नम्बर 68/350, 73, 74 में से रास्ता खुलवाने का आदेश दिनांक 14.7.2010 को पारित कर दिया । अपीलान्ट महावीर सिंह द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मणगढ प्रथम, मुख्यालय सीकर के निर्णय दिनांक 18.9.2009 व तहसीलदार लक्ष्मनगढ के निर्णय दिनांक 14.7.2010 से व्यथित होकर दो अपीलें न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2011 द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मनगढ मु.

सीकर एवं तहसीलदार लक्ष्मनगढ ने प्रकरण में रिकार्ड व मौके की भू मापक व पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर बाद जॉच निर्णय दिनांक 18.9.2009 व 14.7.2010 पारित करने एवं तहसीलदार द्वारा नया रास्ता कायम न कर बन्द रास्ते को ही खुलवाने बाबत निर्णय किये जाने तथा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने रेकार्ड में कटे हुए रास्ते के बाबत प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार नहीं किये जाने का निर्णय पारित करने तथा प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ से मौके की जॉच करवाई जाकर उसके अनुसार ग्रम नरसास की भूमि खसरा नम्बर 68/350, 73, 74 में उक्त रास्ता मौके पर बन्द है । आस पास के खेत व आगे पीछे के रास्तो को देखने से मौके पर यह रास्ता पूर्व में विद्यमान रहा है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा किये गये कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि पूर्व में उनकी भूमि में रास्ता विद्यमान नहीं था । अपीलान्ट द्वारा अपीलें बिना किसी आधार व गलत तथ्य अंकित कर पेश करने एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का निर्णय दिनांक 18.9.2009 एवं तहसीलदार का निर्णय दिनांक 14.7.2010 न्यायोचित प्रतीत होने से उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते हुये अपील अपलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखे हैं ।

जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 20.6.2011 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । अपीलान्ट संख्या 1 से 3 की ओर से बहस के दौरान कोई हाजिर नहीं आये । अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स की भूमि खसरा नम्बर 73, 74, 68/350 के हाल खसरा नम्बर 103, 114, 115, 116, 109, 110, 111, 112, 113 बने हैं , जिनके पश्चिम में लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर ग्रम नरसास के उत्तरी ओर से एक रास्ता महावीर सिंह के खेत खसरा नम्बर 103, 102 अर्थात खसरा नम्बर 68 व 68/350 की उत्तरी सीमा में सहारे सहारे होता हुआ ग्रम सोला में जाता है तथा इसी रास्ते के उत्तरी सीमा के सहारे सहारे वाले रास्ते को प्रयोग में लेता है एवं दूसरा रास्ता ग्रम नरसास के दक्षिण में 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित ग्रम डोटासरा में होकर प्रार्थी महावीर सिंह वगैरह के खेतों के दक्षिणी सीमा की तरफ अर्थात खसरा नम्बर हाल 116 के दक्षिणी तरफ दो खेत छोडकर तीसरे खेत की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे होता हुआ ग्रम सोला के कांकड में प्रवेश कर ग्रम सोला में जाता है तथा ग्रम सोला से पुनणी चला जाता है इसी प्रकार ग्रम जाजोद भी ग्रम नरसास से 7 कि.मी. उत्तर में है इसलिए खसरा नम्बर 68, 68/350, 73, 74 जिसके नये खसरा नम्बर 103, 109 व 116 में होकर कोई रास्ता ग्रम डोटासर जोड व पूनणी जाने का नहीं है,न हो सकता, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस पहलू पर कोई विचार नहीं कर निर्णय पारित करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि मौका रिपोर्ट दिनांक 13.7.2009 में खसरा नम्बर 74 में फसल होना, 73 में कोई रास्ता नहीं होना व खसरा नम्बर 68/350 के उत्तर की तरफ रास्ता होना स्पष्ट है जिसे नजरन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । विवादित भूमि में अपीलान्ट्स का कुवा, ढाणी व मन्दिर है व उसमें आने जाने की पगडण्डी का रास्ता है जिसे गलत रूप से सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने डोटेड लाईन का आम रास्ता कायम करने में कानूनी भूल की है । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि सभी शपथ पत्र में केवल खाली स्थान, नाम व पते भरे गये हैं जो शपथ पत्रों की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा किसी भी रूप में कानूनन नहीं है । उप खण्ड अधिकारी की तथाकथित जॉच रिपोर्ट कब व किसके सामने बनाई गई अपीलाधीन निर्णय में कोई उल्लेख नहीं है ओर न ही कोई रिपोर्ट है । उनका कहना था कि भू प्रबन्ध विभाग को गत इन्द्राजात को दौहराने का अधिकार है । राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठियॉ परिवर्तित करने , किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का अधिकार सैटलमेन्ट विभाग को नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अपीलान्ट्स महावीर वगैहरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मणगढ प्रथम मुख्यालय सीकर को आराजी खसरा नम्बर 74, 76, 68/350 में गलत रूत से रास्ता कायम

करने के विरूद्ध दिनांक 8.7.2009 को प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि भू प्रबन्ध तरमीम शीट में गलत रूप से डोटेड लाईन से रास्ता दर्शाया गया है जबकि पूर्व में ऐसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है । भू प्रबन्ध कार्यवाहियों के दौरान भू प्रबन्ध विभाग को नई कार्यवाही करने का अथवा रेकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने निर्णय दिनांक 18.9.2009 द्वारा खारिज कर दी जिसके खिलाफ दूसरी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है , परन्तु रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जगदीश ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ के न्यायालय में रास्ते को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मानकर तहसीलदार लक्ष्मनगढ ने खसरा नम्बर 68/350, 73, 74 में से रास्ता खुलवाने का आदेश दिनांक 14.7.2010 को पारित कर दिया । अपीलान्ट महावीर सिंह द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मनगढ प्रथम मुख्यालय सीकर के निर्णय दिनांक 18.9.2009 व तहसीलदार लक्ष्मनगढ के निर्णय दिनांक 14.7.2010 से व्यथित होकर दो अपीलें न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2011 द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मनगढ मु. सीकर एवं तहसीलदार लक्ष्मनगढ ने प्रकरण में रिकार्ड व मौके की भू मापक व पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर बाद जॉच निर्णय दिनांक 18.9.2009 व 14.7.2010 पारित करने एवं तहसीलदार द्वारा नया रास्ता कायम न कर बन्द रास्ते को ही खुलवाने बाबत निर्णय किये जाने तथा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने रेकार्ड में कटे हुए रास्ते के बाबत प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार नहीं किये जाने का निर्णय पारित करने तथा प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ से मौके की जॉच करवाई जाकर उसके अनुसार ग्रम नरसास की भूमि खसरा नम्बर 68/350, 73, 74 में उक्त रास्ता मौके पर बन्द है । आस पास के खेत व आगे पीछे के रास्तो को देखने से मौके पर यह रास्ता पूर्व में विद्यमान रहा है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा किये ये कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि पूर्व में उनकी भूमि में रास्ता विद्यमान नहीं था । अपीलान्ट द्वारा अपीलें बिना किसी आधार व गलत तथ्य अंकित कर पेश करने एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का निर्णय दिनांक 18.9.2009 एवं तहसीलदार का निर्णय दिनांक 14.7.2010 न्यायोचित प्रतीत होने से उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखे हैं , जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद पक्षकारों के मध्य रास्ते का है । अपीलान्ट्स महावीर वगैहरा के प्रार्थना पत्र आपत्ति बाबत आराजी खसरा नम्बर 74, 76, 68/350 में गलत रूप से रास्ता कायम करने को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने निर्णय दिनांक 18.9.2009 द्वारा खारिज करने एवं उसके खिलाफ दूसरी अपील राजस्व अपील अधिकारी सीकर के न्यायालय में प्रस्तुत होने बावजूद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जगदीश ने तहसीलदार लक्ष्मणगढ के न्यायालय में रास्ते को खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मानकर तहसीलदार लक्ष्मणगढ ने खसरा नम्बर 68/350, 73, 74 में से रास्ता खुलवाने का आदेश दिनांक 14.7.2010 को पारित कर दिया । अपीलान्ट महावीर सिंह द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मणगढ प्रथम, मुख्यालय सीकर के निर्णय दिनांक 18.9.2009 व तहसीलदार लक्ष्मनगढ के निर्णय दिनांक 14.7.2010 से व्यथित होकर दो अपीलें न्यायालय जिला कलक्टर सीकर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2011 द्वारा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी लक्ष्मनगढ मु. सीकर एवं तहसीलदार लक्ष्मनगढ ने प्रकरण में रिकार्ड व मौके की भू मापक व पटवारी हल्का से रिपोर्ट लेकर बाद जॉच निर्णय दिनांक 18.9.2009 व 14.7.2010 पारित करने एवं तहसीलदार द्वारा नया रास्ता कायम न कर बन्द रास्ते को ही खुलवाने बाबत निर्णय किये जाने तथा सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने रेकार्ड में कटे हुए रास्ते के बाबत प्रस्तुत आपत्ति को स्वीकार नहीं किये जाने का निर्णय पारित करने तथा प्रकरण में उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ से मौके की जॉच करवाई जाकर उसके अनुसार ग्रम नरसास की भूमि खसरा नम्बर 68/350, 73, 74 में उक्त रास्ता मौके पर बन्द है । आस पास के खेत व आगे पीछे के रास्तो को देखने से मौके पर यह रास्ता पूर्व में विद्यमान रहा है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स द्वारा किये गये कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि पूर्व में उनकी भूमि में रास्ता विद्यमान नहीं था । अपीलान्ट द्वारा अपीलें बिना किसी आधार व गलत तथ्य अंकित कर पेश करने एवं सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी का निर्णय दिनांक 18.9.2009 एवं तहसीलदार का निर्णय दिनांक 14.7.2010

न्यायोचित प्रतीत होने से उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं मानते हुये अपील अपलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखे हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर सीकर दिनांक 20.6.2011 में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.2.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर